

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

का०आ०सं०- वि० प्रा० (II) नियुक्ति- 19/2019/ 2283 /पटना, दिनांक - 21/5/2019
अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 25/2014 के आलोक में आयोग के पत्रांक-26 दिनांक 15.05.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में निम्नांकित अभ्यर्थियों को वेतनमान पीबी-3, 15600-39100 + एजीपी 6000/- (अपुनरीक्षित) एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के अधीन सहायक प्राध्यापक (भौतिकी) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पत्राचार पता	आरक्षण कोटि	मेधा क्रमांक	गृह जिला	फोटो	पदस्थापित अभि०महा० का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री संदीप अग्रवाल, पता- इन्द्र सेन अग्रवाल, कलटेक्स मोड़, पोस्ट-माल, जिला-जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, पिन-735221	01	1	पश्चिम बंगाल		भोजपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर
2.	श्री धीरेन्द्र कुमार, S/o श्री बैजनाथ शर्मा, कोनिका रोड, ग्राम+ पोस्ट-प्रसादी इंगलिस, थाना-अरवल, जिला-अरवल पिन-804408	01	2	अरवल		नवादा अभियंत्रण महाविद्यालय, नवादा
3.	श्री शंकर कुमार चौधरी पता-यू.जी.सी., प्वाइंट, 27-जी., 2 nd फ्लोर जियासराय, नियर आई.आई. टी दिल्ली, पिन-110016	01	4	दरभंगा		मधुबनी अभियंत्रण महाविद्यालय, मधुबनी
4.	श्री राजीव कुमार, पता-बी-105, हॉल-4, आई. आई.टी कानपुर, जिला-कानपुर, पिन-208016	01	5	बरेली (उ०प्र०)		सीवान अभियंत्रण महाविद्यालय, सीवान
5.	श्री राय चन्द्रशेखर प्रसाद, पता-एम-75, शहीद बैकुंठ शुक्ला नगर (आशा सिंह मोड़ के नजदीक) पोस्ट-रामपुर, जिला-गया बिहार, पिन-823001	05	6	गया		औरंगाबाद अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद
6.	श्री जहीर अब्बास, पता-आर. जेड-82/2, गली नं.-2, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली, पिन-110019	01	7	नई दिल्ली		जहानाबाद अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद

7.	श्री आलोक कुमार सिंह झा, C/o डब्लू.जी.सी.डी.आर., आर.एन.झा, क्वार्टर नं. -पी-143, आफिसर्स इन्क्लेव, एयरफोर्स स्टेशन, राजोकरी दिल्ली, पिन-110038	01	8	दरभंगा		गोपालगंज अभियंत्रण महाविद्यालय, गोपालगंज
8.	श्री बासुकीनाथ मिश्रा, पता-ग्राम सेवटा, रेलवे मालगोदाम के नजदीक पोस्ट-मरार, जिला-रामगढ़, झारखण्ड, पिन-829117	01	9	गया		शेखपुरा अभियंत्रण महाविद्यालय, शेखपुरा
9.	श्री मनीष आनंद, S/o राम नारायण साह, ग्राम+पोस्ट-महना, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन-851210	04	11	बेगूसराय		खगड़िया अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया
10.	श्री मुकेश चन्द्र बोस, S/o रामचन्द्र विश्वकर्मा, बाजितपुर पोस्ट-बेलागंज, जिला-गया, बिहार, पिन-804403	04	21	गया		अरवल अभियंत्रण महाविद्यालय, अरवल
11.	श्री मनोज कुमार, C/o बैजनाथ साह (कोलडिपो) पोस्ट-सेमापुर, जिला-कटिहार, बिहार पिन-854115	05	13	लक्खीसराय		मुंगेर अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर
12.	डा० विद्यानन्द महतो, पता-ग्राम+पोस्ट-मोहम्मदपुर कोआरी, भाया-बैनी, जिला-समस्तीपुर, बिहार पिन-848131	05	14	समस्तीपुर		वैशाली अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली
13.	श्रीमती मनीषा कुमारी, D/o राम शरण यादव, अवन्तिका रोड़, बड़ी दरियापुर, न्यू कॉलोनी, जमालपुर, जिला-मुंगेर बिहार, पिन-811214	05	15	बक्सर		बक्सर अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर
14.	श्रीमती सुषमा कुमारी, पता-श्री हरि नारायण प्रसाद सिंह, प्रोफेसर कॉलोनी, धनेश्वर घाट, पोस्ट-बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा, बिहार, पिन-803101	05	16	नालन्दा		नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी

2. इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ सहायक प्राध्यापक (भौतिकी) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

3. सभी नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक (भौतिकी) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3

4. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मेधा क्रमानुसार होगी।
5. अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों एवं आवेदन में अंकित किये गये सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. इनकी यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी होगी एवं किसी भी समय बिना कोई कारण बताए तथा बिना पूर्व सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।
7. ऐसे नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक (भौतिकी) जो वर्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त अनुशासित अभ्यर्थियों में से पूर्व से ही विभाग में पदस्थापित सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता अपने पूर्व के पद का परित्याग की स्वीकृति के उपरान्त ही नवपद का प्रभार ग्रहण करेंगे।
9. पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उपक्रम में नियुक्त अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से विरमित होने के पश्चात ही नव पद पर अपना प्रभार प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इनका प्रभार प्रतिवेदन विरमित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
10. सभी अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
11. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।
12. निर्धारित तिथि तक योगदान देने अथवा निर्धारित तिथि तक अवधि विस्तार का आवेदन न देने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए भविष्य में इनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


2.7.19


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) नियुक्ति-19/2019/ 2283 /पटना, दिनांक- 27/2019
प्रतिलिपि - प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (विभागीय आई०टी० मैनेजर के माध्यम से)।


2.7.19

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) नियुक्ति-19/2019/ 2283 /पटना, दिनांक- 27/2019
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2.7.19

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (II) नियुक्ति-19/2019/ 2283 /पटना, दिनांक- 27/2019

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी संबंधित अभ्यर्थियों/सभी पदाधिकारियों एवं आई० टी० मैनेजर, (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित प्राचार्यों को निदेशित किया जाता है कि नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की जाँच संबंधित संस्थानों/कार्यालयों से कराकर उसका प्रतिवेदन विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

 27.19.

सरकार के संयुक्त सचिव।